दिल्ली विकास प्राधिकरण

21 अगस्त, 2014 को अपराह्न 3.00 बजे राजनिवास, दिल्ली में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत।

बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थेः

अध्यक्ष

1. श्री नजीब जंग
   उपराज्यपाल, दिल्ली

उपाध्यक्ष

2. श्री बलविंदर कुमार

सदस्य

3. श्री वेंकटेश मोहन
   वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा.
4. श्री अभय सिन्हा
   अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
5. श्री डी.एस. मिश्रा
   अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार
6. श्रीमती नैनी जयसीलन
   सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
7. श्री जितेंद्र कुमार कोचर

सचिव

श्री बृजेश कुमार मिश्रा
आयुक्त एवं सचिव

विशेष आमंत्रितगण एवं वरिष्ठ अधिकारी

1. श्री एस.के.श्रीवास्तव

Scanned with OKEN Scanner

मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

2. श्रीमती नूतन गुहा बिस्वास

उप राज्यपाल, दिल्ली की प्रधान सचिव

3. डॉ. एम.एम.कुट्टी

प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

4. श्री राजेंद्र कुमार

सचिव (शहरी विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

5. श्री एस.एस.यादव

सचिव (टीएसएम), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

6. श्री एस.के.गुलाटी

मुख्य सतर्कता अधिकारी, दि.वि.प्रा.

7. श्री टी.श्रीनिधि

प्रधान आयुक्त (आवास, भूमि निपटान एवं राष्ट्रमंडल खेल), दि.वि.प्रा.

8. श्री दयानंद कटारिया

प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन, कार्मिक एवं प्रणाली), दि.वि.प्रा.

9. श्री एस. कुमारस्वामी

आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम

10. श्रीमती स्वाति शर्मा

उपराज्यपाल, दिल्ली की अपर सचिव

11. डॉ. सिमी मल्होत्रा

उपराज्यपाल, दिल्ली की सलाहकार (मीडिया, शिक्षा, कला संस्कृति और भाषा)

12. श्री आर.एन.शर्मा

उपराज्यपाल, दिल्ली के अपर सचिव

13. श्री अजय चौधरी

उपराज्यपाल, दिल्ली के विशेष कार्य अधिकारी

14. श्री एम.के.गुप्ता

आयुक्त (भूमि निपटान), दि.वि.प्रा.

15. श्री डी.सरकार

आयुक्त (आवास), दि.वि.प्रा.

16. श्री एस.एन. गुप्ता

Scanned with OKEN Scanner

आयुक्त (प्रभारी)/भूमि प्रबंधन एवं आई एल, दि.वि.प्रा.

17. श्री पी.एम. पराते

आयुक्त (प्रभारी) /योजना, दि.वि.प्रा.

18. श्री ओम प्रकाश

मुख्य अभियंता (एन जेड एवं क्यू.ए.सी.), दि.वि.प्रा.

19. श्री संदीप मेहता

मुख्य अभियंता (रोहिणी), दि.वि.प्रा.

20. श्री शमशेर सिंह

मुख्य नगर योजनाकार, एनडीएमसी एवं एसडीएमसी

21. श्री अनिल कुमार शर्मा

मुख्य विधि सलाहकार, दि.वि.प्रा.

22. श्री अमरदीप सिंह

वित्तीय सलाहकार (आवास), दि.वि.प्रा.

23. श्री अमर सिंह

अधीक्षण अभियंता, दि.वि.प्रा.

24. श्री आर.के.जैन

अपर आयुक्त (योजना) एमपी एवं यूई, दि.वि.प्रा.

25. श्री एस.पी.पाठक

अपर आयुक्त (योजना) एपी एवं एमपीआर, दि.वि.प्रा.

26. श्रीमती सविता भंडारी

अपर आयुक्त (भूदृश्य), दि.वि.प्रा.

27. श्री पार्थो धर

अपर आयुक्त (योजना), यूसी एवं आई, दि.वि.प्रा.

28. श्री एस. दास

निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

29. डॉ. के. श्रीरंगन

निदेशक, यूटीपैक, दि.वि.प्रा.

30. श्री एच.के. भारती

निदेशक (योजना), दि.वि.प्रा.

31. श्रीमती नीलिमा सोनी

Scanned with OKEN Scanner

उप निदेशक (भू-दृश्य), दि.वि.प्रा.

32. श्रीमती नीमो धर

सलाहकार (जन संपर्क), दि.वि.प्रा.

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का अभिनंदन किया।

मद सं.111/2014:

दिनांक 11.7.2014 को राजनिवास में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एफ.2(2)2014/एमसी/डीडीए

आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. ने सूचित किया कि मद सं.55/2014 और 106/2014 के संबंध में दो संशोधन प्राप्त हुए थे।

मद सं.55/2014:

मद सं. 55/2014 के संबंध में, श्रीमती रीता मेनन, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत व्यापार संवर्धन संगठन से दिनांक 09.05.2014 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त से पैरा 5 (i) और (ii) को हटाने एवं दि.मु.यो.- 2021 में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के लिए अनुमत कार्यकलापों में होटल सुविधा के प्रावधान के वर्णन को शामिल करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ है।

विचार विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि उक्त पैरा 5 (i) एवं (ii) को इस स्टेज पर कार्यवृत्त से हटाया नहीं जाएगा। तथापि, दिनांक 09.05.2014 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

(i) दिनांक 09.05.2014 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार वाणिज्यिक मंत्रालय और आईटीपीओ से टिप्पणियां प्राप्त करने की आवश्यकता है।

(ii) दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से भी टिप्पणियाँ प्राप्त की जानी चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

(iii) सभी प्रासंगिक मुद्दों पर एक प्रजेंटेशन दी जानी चाहिए। इस प्रजेंटेशन के दौरान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, आईटीपीओ एवं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए।

अतः, प्राधिकरण द्वारा कार्यवृत्त में प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदित नही किया गया।

मद सं.106/2014:

मद सं.106/2014 के संबंध में, प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, आवास एवं राष्ट्रमण्डल खेल) ने कहा कि एजेंडा में एक मुद्रण त्रुटि थी और इसे 'सांस्थानिक निर्मित (बिल्ट-अप) संपतियों' की बजाय 'सांस्थानिक प्लॉट' होना चाहिए क्योंकि कोई सांस्थानिक निर्मित (बिल्ट-अप) नहीं है।

प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदित नहीं किया गया। माननीय उपराज्यपाल ने निदेश दिए कि एजेंडा मद के संदर्भ में फाइल का निर्णय लेने के लिए पहले इसे सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इन संशोधनों के साथ, दिनांक 11.07.2014 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के यथा परिचालित कार्यवृत की पुष्टि की गई।

मद सं.112/2014:

दिनांक 26.06.2014 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

एफ.2(3)2014/एमसी/डीडीए

माननीय उप राज्यपाल के निदेशानुसार भविष्य में सभी एटीआर अनुपालन के चरण और समय-सीमा को विस्तृत रूप से दर्शाने वाली होनी चाहिए।

दिनांक 26.06.2014 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत पर एटीआर को प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया।

मद सं.113/2014:

निष्पादन बजट पर की गई कार्रवाई नोट।

एफ.4(3)91/पीईआर. /बजट/2013-14

Scanned with OKEN Scanner

वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. ने एजेंडा मद को स्पष्ट किया।

प्रधान सचिव (वित्त), जीएनसीटीडी ने निम्नलिखित मुद्दों को उठायाः

(i) पेज सं.23 पर क्रम सं. 4 और 14 में कार्य के संबंध में, आर.ई. में निधि के आबंटन में काफी वृद्धि हुई है किंतु इन निधियों का उपयोग नहीं किया गया है।

(ii) पेज सं. 24 पर क्र. सं. 7 में कार्य के संबंध में, आर.ई. में काफी कमी आई है। इसके बाद भी निधि का उपयोग नहीं किया गया है।

(iii) कुछ कार्यों में व्यय आरई से अधिक है।

अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. ने बताया कि क्रमांक 4 पर कार्य हेतु कार्य के निष्पादन के लिए संविदा सौंपी गई और अग्रिम राशि जारी की जानी संभावित थी। क्रमांक 14 में कार्य के संबंध में कार्य के निष्पादन हेतु संविदा सौंपी गई किंतु ड्राइंग को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अग्रिम राशि जारी नहीं की गई। अभियंता सदस्य ने आगे आश्वासन दिया कि तिमाही समीक्षा का मसौदा तैयार किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो।

माननीय उपराज्यपाल के निदेशानुसार बजटीय अनुशासन बनाया जाए।

प्राधिकरण द्वारा निष्पादन बजट पर किए गए कार्रवाई नोट (ए टी एन) को नोट किया गया।

<u>मद सं.114/2014:</u>

दिनांक 11.06.2014 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में सलाहकार समूह की सिफारिशें। योजना की मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में दि.मु.यो.-2021 में संशोधन।

एफ.20(19)2014-एमपी

1. प्रधान सचिव (वित्त), जीएनसीटीडी ने सुझाव दिया कि एजेंडा मद के पैरा सं. 2.1 और 2.2 की भाषा में संशोधन किया जाए।

पैरा/क्र.सं.	एजेंडा के अनुसार प्रस्तावित आशोधन/संशोधन	प्राधिकरण के सुझावों के आधार पर संशोधन
9.0 (iv)	दिल्ली को ज्ञानपूर्ण एवं न्यूनतम संसाधन उपयोग करने वाला शहर बनाना। सभी क्षेत्रों के संसाधनों के इष्टतम और कुशल उपयोग	दिल्ली को इष्टतम संसाधन उपयोगी शहर बनाना। संसाधनों के इष्टतम और कुशल उपयोग के

Scanned with OKEN Scanner

	की सर्वोत्तम पर्यावरणीय कार्य।	पर्यावरणीय कार्यों को सभी क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा।
9.0 (v)	सभी क्षेत्रों में प्रासंगिक नीति रणनीति अपनाकर दिल्ली को अधिकतम पुनः उपयोगी और पुनर्चक्रण शहर बनाना।	प्राकृतिक संसाधनों के सभी क्षेत्रों में उनके पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को अधिकतम करने के लिए प्रासंगिक नीति रणनीतियों को अपनाना।
9.3.1.1/ क्रमांक 6	निम्नलिखित उपाय..... सुधार हेतु तकनीकें	अंत में नये प्वाइंट को जोड़नाः • यमुना नदी में मूर्तियों के विसर्जन हेतु तैयारी के लिए बायोडिग्रेडेबल सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देना।
9.3.2.1	अधिसूचित क्षेत्र और विभिन्न एजेंसियों- दि.वि.प्रा., सी.पी.डब्ल्यू.डी. एनडीएमसी, उत्तरी एवं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, वन विभाग और रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले कुल क्षेत्र की भौतिक सीमाओं के बीच विसंगतियाँ हैं। मुख्य योजना के तहत प्रस्तावित आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित क्षेत्र को क्षेत्रीय पार्क के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्षेत्रीय पार्क का अनुमेय भूमि उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत आरक्षित वन के प्रावधानों के विपरीत है। दो भूमि श्रेणियों के बीच ओवरलैप के मामले में, वन अधिनियम के तहत अनुमेय भूमि उपयोग लागू होगा।	अधिसूचित क्षेत्र और विभिन्न एजेंसियों- दि.वि.प्रा., सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, उत्तर और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, वन विभाग और रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाले कुल क्षेत्र की भौतिक सीमाओं के बीच विसंगतियां हैं। जब तक वन विभाग द्वारा सटीक सीमाओं की पहचान नहीं की जाती, तब तक दिल्ली की मुख्य योजना (भूमि उपयोग योजना) में क्षेत्रीय पार्क के रूप में इंगित सीमा जारी रहेगी। मुख्य योजना के तहत प्रस्तावित आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित क्षेत्र को क्षेत्रीय पार्क के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्षेत्रीय पार्क का अनुमेय भूमि उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत आरक्षित वन के प्रावधानों के विपरीत है। दो भूमि श्रेणियों के बीच ओवरलैप के मामले में, वन अधिनियम के तहत अनुमेय भूमि उपयोग लागू होगा।

Scanned with OKEN Scanner

2. सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी ने पाया कि एजेंडा के पृष्ठ 63 पर दिल्ली में केवल जैव वैविध्य पार्कों की बजाय सभी संरक्षण क्षेत्रों के लिए प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वाक्य को संरचना में स्पष्टता होनी चाहिए।

माननीय उपराज्यपाल चाहते थे कि सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी आवश्यक प्रावधान बनाने में दि.वि.प्रा. की सहायता करें।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव उपरोक्त टिप्पणियों/सुझावों तथा निदेशों के साथ प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया, कि सदस्यों और दिल्ली सरकार के अधिकारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने से पूर्व विचार करना चाहिए।

<u>मद सं.115/2014:</u>

कोंडली घरोली के आबंटितियों, जहाँ ईएमआई राशि सूचित न की गई हो और राजा पार्क के निष्कासितों, जहाँ दि.वि.प्रा. द्वारा कब्जा तो दिया जा चुका हो, किंतु माँग एवं आबंटन पत्र (डीएएल) जारी न किया गया हो, से बकाया राशि (ब्याज सहित लागत) वसूल करना।

एफ.21(1970)2011/एचएसी/डीडीए

उचित विचार विमर्श के बाद, निम्निलिखित निर्णय लिए गए:

(i) मामले की दोबारा जाँच होनी चाहिए।

(ii) यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह गलती किसकी थी कि समुचित समय पर मांग जारी नहीं की गई।

(iii) मुख्य विधि सलाहकार की राय लेनी चाहिए।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण द्वारा एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया।

<u>मद सं.116/2014:</u>

प्लॉटेड डेवलपमेंट में आवासीय प्लॉटों का समामेलन।

एफ.20(01)2013/एमपी

Scanned with OKEN Scanner

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, प्राधिकरण दवारा 200 वर्गमीटर तक के केवल दो प्लॉटों के समामेलन के प्रावधान के साथ निम्नलिखित शर्तों सहित एजेंडा मद को अनुमोदन किया गया:

- स्थानीय निकाय एक ही समय पर ले-आउट योजना का संशोधन करेगा।
- अधिकतम ग्राउंड कवरेज, सेटबैक, पार्किंग, आवासीय इकाइयाँ इत्यादि समेकित प्लॉट आकार के होंगे।
- दो आवासीय प्लॉटों के संबंध में अनुमेय अधिकतम एफएआर अनुमेय से कम नहीं होगा।

<u>मद सं.117/2014:</u>

ब्लूमिंग बड्स एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी के संबंध में भुगतान की विलंबित अवधि को नियमित करना।

एफ.19(122)2001/आईएल

प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, आवास एवं राष्ट्रमंडल खेल) ने बताया कि सोसायटी द्वारा दि.वि.प्रा. को 12 वर्ष पहले भुगतान किया गया था और शेष भुगतान केवल 4-1/2 माह देरी से हुआ था। उन्होंने यह भी कहा कि शहरी विकास मंत्रालय की ओर से इस मामले पर नजूल नियम के तहत विचार करने का निर्देश दिया गया।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

<u>मद सं.118/2014:</u>

दिल्ली एमआरटीएस परियोजना फेज़-III के मुकुंदपुर-यमुना विहार कॉरिडोर (लाइन-7) हेतु आरएसएस के निर्माण के लिए वजीराबाद रोड और लोनी रोड क्रॉसिंग पर सुविधा केंद्र सं.8 के लेआउट में 3900 वर्ग मी. क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'मनोरंजनात्मक' (सामुदायिक पार्क) से 'उपयोगिता' (आरएसएस) में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ.21(04)2011/एमपी-वाईवी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव का प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

मद सं.119/2014:

ग्रीन फील्ड वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर की स्थापना के लिए ग्राम जोनापुर की राजस्व संपदा में 15.02 हैक्ट. (37.11 एकड़) के भूमि उपयोग को "आवासीय उपयोग" से "सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग" में परिवर्तन।

एफ.3(02)2012/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव का प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया।

मद सं.120/2014:

निम्नलिखित के संबंध में भूमि उपयोग का प्रस्तावित परिवर्तनः

i. सराय काले खां, दिल्ली में दूसरे अंतरराज्यीय बस टर्मिनल के संबंध में 11.71 हैक्ट. (117091 वर्ग मी.) क्षेत्र को 'मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क) से 'परिवहन (आईएसबीटी) में' परिवर्तन

ii. योजना जोन-डी में आने वाले सराय काले खाँ, दिल्ली में मिलेनियम डिपो के संबंध में परिवर्तन 3.1 हैक्ट. (31,707 वर्ग मी.) क्षेत्र को 'सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक सुविधाओं (मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर)' से 'परिवहन (डिपो)' में परिवर्तन

एफ.5 (03)97/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्तावों का प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया।

मद सं.121/2014:

पॉकेट आर-17 में कब्रिस्तान हेतु और सेक्टर 40, रोहिणी, फेज़-V में प्रस्तावित श्मशान घाट और कब्रिस्तान से सटे 4198.12 वर्ग मी. क्षेत्र हेतु कब्रिस्तान के भूमि उपयोग को "आवासीय" से "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" में परिवर्तन

एफ.20(12)2010/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्तावों का प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया।

मद सं.122/2014:

जोन ए (वाल्ड सिटी) में दंगल मैदान के भूमि उपयोग को 'मनोरंजनात्मक' (पार्क/ओपन स्पेस) से 'परिवहन' (बहुमंजिला पार्किंग) में परिवर्तन।

एफ.3(02)2006/एमपी

Scanned with OKEN Scanner

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव का प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया।

मद सं.123/2014:

योजना जोन-एफ में एम्स ट्रॉमा सेंटर के विस्तार हेतु 6.80 हैक्ट. भूमि के भूमि उपयोग में परिवर्तन।

एफ.20(2)2010/एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्तावों का प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया गया।

मद सं.124/2014:

दि.वि.प्रा. आवास योजना-2014

एफ.1(303)एनएंडसी/(एच) /2013

प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, आवास एवं राष्ट्रमंडल खेल) ने एजेंडा मद की व्याख्या की और पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया। शुरूआत में, उन्होंने स्पष्ट किया कि ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों के लिए आवेदन करने हेतु आय मानदंड अनजाने में ड्राफ्ट ब्रोशर में रु. 1.5 लाख दिया गया है, जिसे रु. 1.00 लाख होना चाहिए।

2. माननीय उपराज्यपाल ने पूछा कि क्या इन फ्लैटों का निपटारा "जहाँ है जैसा है" के आधार पर किया जाएगा जैसा कि ड्राफ्ट ब्रोशर में उल्लखित है।

श्री जितेंद्र कुमार कोचर ने शिकायत की कि पुराने फ्लैट अच्छी स्थिति में नहीं हैं और योजना में शामिल करने से पहले उनका निरीक्षण किया जाना चाहिए। प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान, आवास एवं राष्ट्रमंडल खेल) ने बताया कि आवंटियों को सौंपने से पहले पुराने फ्लैटों की मरम्मत की जाएगी। अभियंता सदस्य का यह भी मत था कि फ्लैटों की मरम्मत की जानी चाहिए ताकि फ्लैट सौंपते समय शिकायतों से बचा जा सके।

माननीय उपराज्यपाल ने निदेश दिया कि पुराने फ्लैटों को उसी स्थिति में पुनः स्थापित किया जाना चाहिए जैसा कि निर्माण के समय इनको बनाया गया था। इसके अलावा, माननीय उपराज्यपाल ने निम्नलिखित सुनिश्चित करने के निदेश दिए:

Scanned with OKEN Scanner

1) मुख्य क्षेत्रीय अभियंता (सिविल / इलेक्ट्रिकल) द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि प्रत्येक फ्लैट हर तरह से उपयोग के लिए तैयार है, जिस पर ईएम, दि.वि.प्रा. द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

2) फ्लैटों का आवंटन "उपयोग के लिए तैयार" आधार पर होना चाहिए।

3) दि.वि.प्रा. को एलजी सचिवालय को अलग से सूचित करना चाहिए कि कैसे फ्लैटों की संख्या 26091 से 25034 तक कम हो गई है। पुराने फ्लैटों की संख्या 851 से घटाकर 811 करने का कारण भी दिया जाना चाहिए।

3. डीएलएफ द्वारा प्रस्तावित 700 फ्लैटों के लिए समझौता ज्ञापन (ड्राफ्ट ब्रोशर का परिशिष्ट - III) पर हस्ताक्षर किए जाने के संबंध में चर्चा के लिए मामला आया। विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि समझौते/एमओयू से संबंधित मुद्दे को अलग से अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए और कानूनी विभाग से जांच के बाद फाइल प्रस्तुत की जानी चाहिए।

4. दिल्ली के निवासियों के लिए फ्लैटों की संख्या के 80% और बाहरी लोगों के लिए 20% के आरक्षण की प्रस्तावित शर्त के संबंध में, विस्तृत चर्चा के बाद, प्राधिकरण, सैद्धांतिक रूप से, दिल्ली के निवासियों के लिए आरक्षण के इस खंड से सहमत नहीं था। अत: इस योजना के निबंधन एवं शर्तों से इस शर्त को हटा दिया जाना चाहिए।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया। उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. को योजना के ब्रोशर में शामिल किए जाने वाले नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए और इसकी एक प्रति जानकारी हेतु उपराज्यपाल कार्यालय को भेजने के लिए अधिकृत किया गया था।

<u>मद संख्या 125/2014:</u>

सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक उपयोग में मीडिया / समाचार एजेंसियों और मीडिया प्रशिक्षण केंद्र की अनुमति - दि.मु.यो. - 2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.20 (07) / 2014 - एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

मद संख्या 126/2014:

यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर में दिल्ली का शिलालेख - जोन 'डी' के क्षेत्रीय विकास योजना में नई दिल्ली के शाही शहर की सीमाओं को शामिल करना।

एफ.16 (06) 2014 / एमपी

सचिव (पर्यटन), जीएनसीटीडी ने कहा कि एमपीडी - 2021 के पैरा नंबर 10.3 (ii) को निम्नानुसार बदलने की आवश्यकता है:

"नई दिल्ली के इंपीरियल सिटी और लुटियंस बंगला क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विरासत परिसर।"

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 127/2014:

यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर में दिल्ली के इम्पीरियल शहर अर्थात् शाहजहाँनाबाद को शामिल करना- दिल्ली के इस इम्पीरियल शहर की सीमाओं को जोन 'ए' (वॉल्ड सिटी) की क्षेत्रीय विकास योजना में शामिल करना

एफ.3(02)2006/एमपी/पार्ट.I

सचिव (पर्यटन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कहा कि दि.मु.यो.-2021 के पैरा सं.10.3 (i) को निम्नानुसार परिवर्तित करने की आवश्यकता है:-

"शाहजहाँनाबाद (वॉल्ड सिटी) दिल्ली की इंपीरियल सिटी के भीतर विशिष्ट विरासत परिसर"

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया।

माननीय उपराज्यपाल ने बैठक में उपस्थिति हेतु सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितियों और वरिष्ठ अधिकारियों का अभिनंदन किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

Scanned with OKEN Scanner